

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
26-7-17	<p>पत्रावली पेश हुई। सपिस्टी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न स्वगत प्रार्थना - पत्र पर आभिप्राय अपीलान्तर को स्वपक्षीय सुन लया पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को स्वपक्षीय सुन जारी कर दिया गया है। अबकि सभी पत्रावली को सुनकर ही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। मूल वाद 53 (2) का है जिसमें पत्रावली को पृथक से सुनकर आदेशित किये जाने से अन्य पत्रावली के हित पर फुलारा ध्यान होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अन्य पत्रावली को सुनकर आगामी कार्यवाही करे तब तब उक्त विवादित आराजी ख० सं० 164, 162, 107, 108, 117, 142, 143, 163, 168, 278/824, 70 व 160 वादे साथ बहरोड नरफ इंगरसी से सम्बन्धित नहल -याया. उपरखंड अधिकारी बहरोड के निर्णय दिनांक 07.07.17 प्रकरण संख्या 31/17 मैनपाल V/8 बाबूलाल का प्रचलन स्थगित रखते हुए विवादित आराजी की शर्तों रिवाइ की यथास्थिति बनारस रखें। प्रकरण पुर सुनवाई हेतु नहल न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैंसल जुमाद होकर नम्बर से कम की जाकर, बाद तदमील आहल दारिखल वफला की जावे।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर